

furnished in duplicate)

## भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI

IIM/20\_\_/48

### FORM OF APPLICATION FOR FAMILY PENSION SCHEME

	Name of the applicant:				
•	<ul> <li>i) Widow/Widower:</li> <li>ii) Guardian if the deceased person is survived by child or children:</li> </ul>				
	Name and age of surviving widow/wido	wer and children of the decea	ased employee/ pensioner:		
Sr.	Nome	Relationship with the	Date of birth		
No.	Name	deceased person	(Christian era)		
1					
2					
3					
5					
	If the applicant is guardian, his/her date of birth and relationship with the deceased employ pensioner:				
	If the applicant is a widow/widower the amount of service pension which he/she may be in rece on the date of death of the husband/wife:				
	Full address of the applicant:				
	Place of payment of Pension and Gratuity and (Treasury, Sub-Treasury or Public Sector Bank Branch and Pay & Accounts Office):				
	Enclosures: i) Two specimen signatures of the applica ii) Two copies of passport size photograp iii) Two slips each bearing left hand thun	ant, duly attested (to be furnis hs of the applicant duly attes	shed in two separate sheets ted.		

any, on the hand, face etc. (Specify a few conspicuous marks, not less than two, if possible). (To be

v)	dates of birth of the children from the local Panchayat of such a school. (This information of the children of	ginal with two attested copies) showing the certificate should be from the refrom the head of a recognized school nation should be furnished in respect te of birth are not available with the F	ne Municipal Authorities of ol if the child is studying it of such a child or children	
Indic Secto	or Undertaking/Autonomou	s admissible from any other source; (I s body/ Local fund under t	he Central/State Gov	
Signa		ession of the applicant*:		
Attested by:				
	Name	Full Address	Signature	
i)				
ii	)			
Witn	esses:			
	Name	Full Address	Signature	

	Name	Full Address	Signature
i)			
ii)			

### **NOTE:**

- (i) Attestation should be done by two gazetted Government servants or two or more persons of respectability in the town, village, or Pargana in which the applicant resides.
- (ii) \*To be furnished in case the applicant is not literate enough to sign her/his name.
- (iii) In case of re-marriage of the widow while applying for family pension on behalf of the minor child, the widow should furnish (i) the date of her re-marriage, (ii) name of the treasury/subtreasury at which payment is desired and (iii) her full address in the application for family pension. It is not necessary to furnish a fresh application nor the documents as they are already available with the pension papers on which the family pension was originally admitted to her.



# भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI

IIM/20\_\_/48

# परिवार पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रपत्र

	/पेशनभोगी अर्थात स्वगीय श्री/श्रीमती ान के लिए आवेदन प्रपत्र	क	मित्यु पर पारिवारिक पेशन 1964
J	क का नाम:		
_	।वा/विधुर:		
ii) या	दे मृत व्यक्ति के कोई संतान या बच्चे हैं तो अभिश	નાવ <b>ው</b> :	
2. मृत क	र्मिचारी/पेंशनभोगी की जीवित विधवा/विधुर तथ	ा बच्चों का नाम और आयु	
क्र. सं.	नाम	मृतक व्यक्ति के साथ संबंध	जन्म तिथि (ईसाई संवत के अनुसार)
1			
2			
3			
5			+
4. अनुभा 5. यदि अ	ारी/पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि: ।ग/विभाग जिसमें मृत कर्मचारी/पेंशनभोगी ने अं भावेदक अभिभावक है, तो उसकी जन्म तिथि औ भावेदक विधवा/विधुर है तो सेवा पेंशन की वह र	ांतिम सेवा की थी:विम सेवा की थी: किसाथ	संबंध:
७. आवेद	क का पूरा पता:		
८. पेंशन	और ग्रेच्युटी के भुगतान का स्थान (ट्रेजरी, उप-ट्रे	रेजरी या सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शा	खा और वेतन व लेखा कार्यालय)।
	ज: i) आवेदक के दो नमूना हस्ताक्षर, विधिवत सल ii) आवेदक के पासपोर्ट आकार के फोटो की ह iii) आवेदक के बाएं हाथ के अंगूठे और उंगली ह iv) आवेदक का वर्णनात्मक नामावली, विधिवत निशान यदि कोई हो। (यदि संभव हो तो कम से	दो प्रतियां, विधिवत सत्यापित। के निशान * वाली दो पर्चियां, विधिवः सत्यापित, (क) ऊंचाई, और (ख) हाः	- त सत्यापित। थ पर, चेहरे आदि पर व्यक्तिगत

v) ख ; ; ;	क्यों के ज प्रमाण पर वाहिए यी जन्म तिथि	जन्म की तारीखों को दर्शाने वाला आ म नगरपालिका अधिकारियों से या स्थ दे बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है। (य में का विवरण कार्यालय प्रमुख के पा	यु प्रमाण पत्र (मूल दो सत्यापित प्रतियों के धानीय पंचायत से या किसी मान्यता प्राप्त हि जानकारी ऐसे बच्चे या बच्चों के संबंध स उपलब्ध नहीं है)।	साथ)। स्कूल के प्रमुख से होना में प्रस्तुत की जाए जिनकी
10. इंगित क स्वायत्त निका	ग्रें कि क् य/स्थानी	पा पारिवारिक पेंशन किसी अन्य स्र य कोष, केंद्र/राज्य सरकार के तहत	ोत से स्वीकार्य है; (सैन्य/राज्य सरकार/र )।	गार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/
11. आवेदक	का हस्त	ाक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निश	न * :	
१२. द्वारा अनु	रुमाणित	<u>:</u>		
_	i) ii)	नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर
		नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर
i	i)		<u> </u>	Ç SALŞI V
i	ii)			

### नोट:

- (i) सत्यापन दो राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों या उस शहर, गांव या परगना के दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें आवेदक रहता है।
- (ii) \*यदि आवेदक् अपने नाम पर हस्ताक्षर् करने के लिए पर्याप्त साक्षर नहीं है तो इसे प्रस्तुत किया जाए।
- (iii) नाबालिंग बच्चे की ओर से पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन करते समय विधवा के पुनर्विवाह के मामले में, विधवा को (i) अपने पुनर्विवाह की तारीख, (ii) उस कोषागार/उप-कोषागार का नाम, जहाँ से भुगतान वांछित है और (iii) पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन में अपना पूरा पता प्रस्तुत करना चाहिए। नया आवेदन या दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है क्योंकि वे पहले से ही पेंशन के कागजात के साथ उपलब्ध हैं, जिस पर मूल रूप से उसे पारिवारिक पेंशन दी गई थी।